तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दीदार खां बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 163 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांदखांजी पता मु0पो0 झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2017 में उसके द्वारा (1) ताः 29.04.17 को जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय में कार्यवाही के लिए आवेदन किया था आवेदन पर प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात् दैनिक प्रगति रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1499 दिनांक 02.11.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि आवेदन पत्र में वर्णित प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.04.17 कार्यालय की आवक पंजिका के क्रम सं. 2673 दिनांक 02.052017 पर दर्ज कर मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित किया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो उनका प्रथम अपीलेट अधिकारी **प्रमुख**, जिला परिषद जोधपुर है, न कि जिला कलक्टर। अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो उन्हें लोक सूचना अधिकारी (जिला परिषद जोधपुर) के विरूद्ध उनके सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को प्रशासनिक स्तर पर भी निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना नहीं दी गई हो तो विधिक प्रावधानों के तहत देय सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	